

सं. 46 अ: निवासी व्यक्तियों के लिए विप्रेषण की उदारीकृत योजना के अंतर्गत बाह्य विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रयोजन	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1. जमाराशि	9.1	23.2	19.7	24.0
2. अचल संपत्ति की खरीद	0.5	1.9	8.5	39.5
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	—	—	20.7	144.7
4. उपहार	—	—	7.4	70.3
5. दान	—	—	0.1	1.6
6. अन्य**	—	—	16.4	160.4
कुल (1 से 6)	9.6	25.0	72.8	440.5

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

प्रयोजन	2008-09							
	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	तूबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. जमाराशि	3.4	3.0	4.1	2.3	2.6	1.6	1.2	1.4
2. अचल संपत्ति की खरीद	7.7	7.0	6.5	5.7	4.6	5.7	3.1	2.6
3. इक्विटी / ऋण में निवेश	13.3	13.7	14.9	12.5	12.7	9.8	8.7	12.4
4. उपहार	8.8	10.9	10.2	12.7	16.0	7.9	8.6	23.2
5. दान	0.2	0.1	—	0.2	0.2	—	0.1	0.2
6. अन्य**	17.1	18.5	20.5	27.4	123.6	26.0	19.2	19.0
कुल (1 से 6)	50.5	53.2	56.2	60.8	159.7	51.0	40.9	58.8

— : उपलब्ध नहीं।

** : शैक्षिक दैरा और यात्रा जैसी मद्दें शामिल हैं।

टिप्पणी : (i) 2004 से 2007 के आंकड़े कैलेंडर आधार पर हैं।

(ii) वर्तमान में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत निवासियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी भी चालू या पूँजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन में 26 सितंबर 2007 से 2,00,000 अमरीकी डॉलर तक विप्रेषण की अनुमति है। एलआरएस योजना का प्रारंभ फरवरी 2004 से किया गया। इसका उद्देश्य निवासी व्यक्ति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 25,000 अमरीकी डॉलर तक का विप्रेषण आसानी से करने में सुविधा प्रदान करना था। इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2006 में प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकन डॉलर, मई 2007 में प्रति वित्तीय वर्ष 1,00,000 अमरीकी डॉलर तथा सितंबर 2007 में 2,00,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया।